

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O) 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/जी/3465

धमतरी, दिनांक: 30/06/2023

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
धमतरी संभाग धमतरी

विषय :- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewal and widening work of Megha-Singpur-Dugli- Road i/c culvert and bridge work. Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length. Forest land diversion. हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. प्रकरण के संबंध में।

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

- संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक/1825/शिल्प-23/वन विभाग दिनांक 20.04.2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/956 दिनांक 11.05.2023
3. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्रं./तक शा./सड़क/6565 दिनांक 15.06.2023

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से आपके द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Road/151953/2022 रकबा 37.973 हे. के प्रस्तुत प्रकरण को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर को प्रेषित किया गया था।

संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों, वृक्ष विदोहन योजना, वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे के मानचित्र पूर्ण नहीं होने के संबंध में आपत्ति ली गई है। मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा ली गई उक्त आपत्तियों के संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रेषित करें :-

1. प्रस्ताव के कण्डिका क्रमांक 7 में संलग्न प्रपत्र IV में क्षेत्र में पाये जाने वाले दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजाति की जानकारी भाग-2 (छायाप्रति संलग्न) अनुसार अंकित करें।
2. प्रस्ताव के कण्डिका क्रमांक 16 में स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वर्ष 2023-24 अनुसार वनमण्डलाधिकारी महासमुंद से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट में वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाते हुये 1:15000 अथवा 1:50000 स्केल का मानचित्र (टोपोशीट) प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण के संबंध में आगामी कार्यवाही किया जा सकें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र 3 एवं भाग - 2 की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

धमतरी, दिनांक: 30/06/2023

पृ.क्रमांक/ मा.चि./व.सं.अ./31/जी/3466

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी महासमुंद, वनमण्डल महासमुंद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु स्थल आपके वनमण्डल अंतर्गत चयनित किया गया है। जिसमें वर्ष 2022-23 अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक रायपुर द्वारा वर्ष 2023-24 के नये दर अनुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु लेख किया गया है। अतः वर्ष 2023-24 में प्रचलित दर अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें

संलग्न :- संदर्भित पत्र 3 की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी

धमतरी वनमंडल धमतरी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

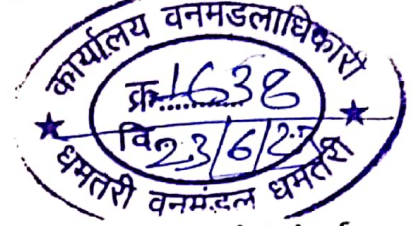
☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./सड़क/ 6565

रायपुर, दिनांक 5/6/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी
छत्तीसगढ़



विषय:- धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु PWD (B&R) Division Dhamtari द्वारा Upgradation Renewl and Widenine Work of Megha- Singpur -Dugli- Road i/c culvert and bridge work . Total length 35 Km. within is proposed 23.715 Km. length .Forest land diversion. हेतु क्षेत्रफल 37.973 हे. पंजीयन बाबत् ।
पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/151953/2022 दिनांक 04.05.2022

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./31/सी/956 दिनांक 11/05/2023

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, उपरोक्त प्रस्ताव का आपका द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है । दुर्लभ/संकटग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों, वृक्ष विदोहन योजना, वैकल्पिक वृक्षारोपण के प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे के मानचित्र इत्यादि का ठीक तरह से परीक्षण करें । अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित न किया जावें । प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(प्रस्ताव 04 प्रतियों में)

पृ.क्रमांक/तक.शा./सड़क/ 6566

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 5/6/2023

प्रतिलिपि :-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) नया रायपुर छ.ग. की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
14/06/23